अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/223 RTA सीताराम V/S उगमसिंह

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/138 SAT श्री सुनील चौहान श्री सनीव मानसंघानिया	

सीताराम सिंह बनाम उगम सिंह वगैरह (138/2022)

5.1.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते करने राजीनामा पेश किया। अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 से 04 ने उपस्थित होकर अपने आधार कार्ड की स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए फोटो प्रति पेश की। अभिभाषक उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र वास्ते करने राजीनामा पर बहस करते हुए कथन किया कि उक्त अपील में अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 01 से 04 के मध्य चन्द मौतबीर व्यक्तियों की समझाईश से व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 15.12.2017 में प्रतिवादी संख्या 01लगायत 04 को रहन, बेचान, हस्तातंरण आदि नहीं करने के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर स्थगन के बाबत् डिक्री पारित कर दी है एवं उक्त डिक्री के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी इस बाबत् नोट डाल दिया है। इस कारण वादग्रस्त भूमियों के बाबत् हस्तातंरण आदि कि कार्यवाही पर रोक लग गयी है व उपरोक्त भूमियों का उपयोग–उपभोग भी नहीं कर पा रहे है। स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त कर दिया जावे। हम पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं उपरोक्तानुसार उक्त स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री को अपास्त कर दी जावे। अपीलांट संख्या 1/1 लगायत 1/4 एवं रेसपोडेन्ट संख्या 01से 04 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए उपरोक्तनुसार राजीनामा से अधीनस्थ न्यायालय कि निर्णय/डिक्री को न्यायहित में निरस्त कर अपास्त किया जाना अतिआवश्यक है। पक्षकारान एवं अभिभाषक ने कथन किया उक्त राजीनामें से सभी सहमत है, इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र वास्ते करने राजीनामा को स्वीकार किया जावें। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील में पक्षकारो के मध्य लोक अदालत कि भावना से राजीनामा हो जाने के कारण राजीनामानुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 15.12.2017 को न्यायहित में निरस्त कर अपास्त किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय की पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट संख्या 1/1 से 1/4 व उनके अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 04 व उनके अभिभाषक ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए उपरोक्तानुसार राजीनामा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय कि निर्णय/डिक्री को निरस्त किया जावें तो हमे काई आपत्ति नहीं हैं तथा न्यायहित में राजीनामा को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। न्यायहित में एवं लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामे अनुसार प्रार्थना पत्र वास्ते करने राजीनामा को स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते करने राजीनामा को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट राजीनामा अनुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 10/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2017 को निरस्त किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner